

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-793/2010/जयपुर

मैसर्स खुटेटा स्टील्स,
रोड नम्बर 2, वी.के.आई एरिया के सामने, जयपुर।
बनाम

....अपीलार्थी

1. उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ,
वाणिज्यिक कर, जयपुर।
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन, जोन-तृतीय, जयपुर।

.....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 13.10.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 227/अपील्स-IV/2008-09/ई में पारित आदेश दिनांक 27.01.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अवधि 01.07.2007 से 30.09.2007 (द्वितीय तिमाही 2007-08) हेतु पारित आदेश दिनांक 14.11.2008 सपठित संशोधन आदेश दिनांक 29.12.2008 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम 2003" कहा जायेगा) की धारा 25(1), 55 एवं 61 के तहत कायम की गई मांग में से कर राशि रु 16,032/-, शास्ति रु 32,064/- एवं ब्याज रु 2,110/- कुल योग राशि रु 50,196/- को विवादित करने पर अपील आंशिक स्वीकार की है तथा आरोपित शास्ति को अपास्त किया है तथा कर राशि रु 16,032/-, व ब्याज राशि रु 2,110/- को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी के उपरोक्त आदेश के विरुद्ध व्यवसायी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

2. विचाराधीन प्रकरण में व्यवसायी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 03.01.08 को करने पर यह पाया कि आलोच्य अवधि के दौरान व्यवसायी द्वारा सकल विक्रय रु 1,23,87,357/- का किया है जिसमें से रु 18,69,902/- का कर मुक्त विक्रय "नालीदार एस्बेस्टोज सीमेन्ट शीट" का करना दर्शाया है, यह माल व्यवहारी मै. हैदराबाद इण्ड. लि. से क्रय किया था जो राजस्थान राज्य में निर्मित माल नहीं है।

Signature

लगातार.....2

कर निर्धारण अधिकारी ने यह माना कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.03.07 वेट शिड्यूल - II में प्रविष्टि संख्या 20 जोड़ी है - "Manufactures of asbestors Cement Sheet and Bricks" इस प्रविष्टि के साथ अंकित शर्तें क्लॉज (1) से (3) को माननीय राज. उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल रिट पिटिशन नं. 3506/2007 में दिनांक 02.08.07 पारित निर्णय में उक्त अधिसूचना को संविधान के अनुच्छेद 304(ए) का उल्लंघन नहीं माना है व संवैधानिक माना है। इस प्रकार उक्त अधिसूचना से यह स्पष्ट होता है कि "asbestos Cement sheet & Bricks having contents of fly ash 25% or more by weight की केवल वह बिक्री ही करमुक्त है जो उक्त क्लॉज (1) से (3) की शर्तें पूरी करें तथा अन्य मामलों में कर देयता Schedule - V के अनुसार है। व्यवहारी द्वारा विक्रय "नालीदार एस्बेस्टोज सीमेन्ट शीट" उक्त अधिसूचना की मुख्य शर्त क्रमांक - 2 के अधीन नहीं आती है एवं Schedule - V के तहत 12.5 प्रतिशत कर योग्य माल है। कर निर्धारण ने संशोधन आदेश द्वारा वास्तविक देय कर 16,032/- व धारा 61 के अन्तर्गत कर की दो गुणा राशि रु. 32,064/- शास्ति एवं धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज राशि रु 2,100/- की मांग सृजित की। व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अधिनियम 2003 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी ने अपील आंशिक स्वीकार की है तथा आरोपित शास्ति को अपास्त किया है तथा कर राशि रु 16,032/-, व ब्याज राशि रु 2,100/- को यथावत रखा है।

3. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से कथन किया गया कि व्यवसायी ने एस्बेस्टोज सीमेन्ट शीट मैसर्स हैदराबाद इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर ब्रांच से क्रय की है जिसके निर्माण में 25 प्रतिशत Fly Ash के तत्व सम्मिलित है। विक्रेता फर्म द्वारा एस्बेस्टोज सीमेन्ट शीट करमुक्त विक्रय किया गया है तथा कोई कर, वेट इनवाइस संग्रहित नहीं किया है इस कारण व्यवसायी ने भी बिना कर संग्रहित किये करमुक्त विक्रय किया गया है। व्यवसायी ने मैसर्स हैदराबाद इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर से माल खरीदा है जो उन्हें करमुक्त विक्रय किया है। राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 05.07.06 द्वारा राज्य के उत्पाद को कर मुक्त घोषित कर तथा राज्य के बाहर से आयातित सभी प्रकार के माल को करयोग्य माना है जो संविधान की आर्टिकल 14, 19(1)(जी), 303 एवं 304(ए) के विपरीत है। इन्होंने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है, अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी कर मुक्ति हेतु जारी अधिसूचना की शर्तों की पूर्ति नहीं करता है जिससे अधिसूचना का लाभ देय नहीं है। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत है, अतः अपील खारिज की जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

7. अपीलार्थी का प्रथम बिन्दु अधिसूचना दिनांक 05.07.2006 के संबंध में है। एस्बेस्टोज सिमेंट शीट्स के सम्बन्ध में राज्य सरकार की अधिसूचना निम्न प्रकार से है :-

"F.12(63) FD/Tax/2005-62 Dated 05.07.2006

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest to do, hereby makes the following amendment in SCHEDULE-I(S.O. 2036) appended to the said Act, namely:-

In Schedule I appended to the said Act, the existing expression appearing in Column No. 3 against S.No. 60A, shall be substituted by the following expression namely :-

- (4) The goods shall be entered in the Registration Certificate of the selling dealer;
- (5) The exemption shall be for such goods, manufactured by the dealer who commences commercial production in the State by 31.12.2006
- (6) the exemption shall be available up to 23.01.2010 "

अपीलार्थी ने एस्बेस्टोज सीमेन्ट शीट मैसर्स हैदराबाद इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर ब्रांच से क्रय की है जिसके निर्माण में 25 प्रतिशत Fly Ash के तत्व सम्मिलित होना अविवादित है। विक्रेता फर्म द्वारा एस्बेस्टोज सीमेन्ट शीट करमुक्त विक्रय किया गया है तथा कोई कर, वेट इनवाइस संग्रहित नहीं किया है परन्तु उपरोक्त अधिसूचना के पठन से स्पष्ट है कि विवादित माल की बिक्री कतिपय शर्तों के अधीन ही कर मुक्त है। विचाराधीन प्रकरण में व्यवसायी द्वारा विक्रय किया गया माल उपरोक्त प्रविष्टि संख्या 60-ए वेट अनुसूची प्रथम के कॉलम सं. 3 में जोड़ी गई शर्तों के अनुसार कर मुक्ति योग्य नहीं है क्योंकि इसकी शर्त संख्या 2 के अनुसार केवल वही इकाइयों करमुक्ति की पात्रता रखती है, जिसने राज्य में दिनांक 31.12.06 तक अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया हो, जबकि व्यवसायी ट्रेडर है तथा उसके द्वारा विक्रय किया गया माल राज्य में निर्मित नहीं है अतः व्यवसायी द्वारा आलोच्य अवधि में की गयी बिक्री पर सामान्य दर अनुसूची-V के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से वेट देय बनता है।

8. दूसरा बिन्दु मुक्त व्यापार से असमान प्रतिबंध के मामले को लेकर है जिसमें अपीलार्थी का कथन है कि मैसर्स हैदराबाद इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर से करमुक्त बिना कर चुकाये उक्त माल खरीदा है जिसका उसने करमुक्त विक्रय किया है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 05.07.06 द्वारा राज्य में उत्पादित माल को करमुक्त तथा राज्य के बाहर से आयातित इसी प्रकार के माल को करयोग्य माना जाना

संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 303 एवं 304ए का उल्लंघन होने से अविधिक है परन्तु कर दर निर्धारण राज्य सरकार का विषय है वह राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु इस प्रकार का विभेद करने में सक्षम है उक्त तथ्य विपणन व्यवहारी (ट्रेडर्स) व उत्पादक व्यवहारी के बीच कर दर से अन्तर कर का मुद्दा है राज्य सरकार राज्य की उत्पादक इकाई को कर में छूट तथा विपणन कर्ता(ट्रेडर्स) को कर दर में छूट नहीं देती है तो कोई अनियमितता नहीं होती है। इससे पूरे भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती है क्योंकि उत्पादन कर्ता एवं विपणनकर्ता दोनों का एक समान कार्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि मैसर्स हैदराबाद इण्डस्ट्रीज लि० की राजस्थान में उत्पादन इकाई नहीं है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी.सिविल रिट पीटिशन नं. 3506/2007 में निर्णय दिनांक 02.08.2007 द्वारा उक्त अधिसूचना को संविधान के अनुच्छेद 304(ए) का उल्लंघन नहीं माना है व संवैधानिक माना हैं। अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का उक्त तर्क की सशक्त अधिकारी का कृत्य संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(जी) एवं 304(ए) के विरुद्ध है, अस्वीकार किया जाता है।

9. व्यवहारी का कर निर्धारण आदेश अवधि 01.07.2007 से 30.09.2007 का है। अधिनियम 2003 की अनुसूची प्रथम जो कि कर मुक्ति के संबंध में है, की प्रविष्टि सं. 60(ए) को अधिसूचना रां. 2188 F.12(28)FD/Tax/2007/135 Dated : 09.03.2007 जो निम्न प्रकार है :-

S.No. 37. In exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 8 of the Rajasthan Value added Tax Act, 2003 (Rajasthan Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in Schedule-I (S.No. 2036) appended to the said Act, namely:

AMENDMENTS

- (1) In column No. 2 against S.No. 1, for the existing entry "29. Sprayer", the entry "29. Sprayer including their parts and accessories" shall be substituted
- (2) the existing s.No. 60A and entries etc, shall be deleted.
- (3) After the existing S.No. 77 and entries thereto the following new S.Nos. and entries thereto shall be added; namely:

78.	Ratanjyot
79.	Crude Bio-diesel and 100% bio-diesel (B 100)
80.	Helmet
81.	Unstitched bed sheet
82.	Woven label tapes, clastic nylon/fabric tapes and laccs"

द्वारा हटा ली गई है। इस प्रकार कर निर्धारण अवधि में यह अधिसूचना प्रभावशील ही नहीं थी तथा इस अधिसूचना द्वारा अपीलार्थी को लाभ दिये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

10. अतः अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधियों में की गयी बिक्री पर सामान्य दर अनुसूची v के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से वैट देय बनता है। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.11.2008 सपठित संशोधन आदेश दिनांक 29.12.2008 में अपीलार्थी पर आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज पूर्णतः विधिसम्मत है एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने का कोई भी न्यायोचित आधार नहीं है।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील के आधार स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा जाता है। फलतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

12. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य